कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

पत्रांक/1493/सम्प0अनु0/न0नि0सहा0/2020–21 दिनांकः– 24/12/2020

नीलामी नोटिस

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि नगर निगम के गांधी पार्क के सामने क्वार्टर संख्या 01 व 02, नगर निगम कार्यालय में क्षतिग्रस्त भवन एवं खाताखेडी में क्षतिग्रस्त भवनों के मलबे की खुली बोली निलामी नगर निगम प्रांगन में आमंत्रित की जानी है, एच्छिक बोलीदाता नियत तिथि पर निम्नलिखित शर्तो के अनुसार अपना प्रस्ताव नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। मलबे की नीलामी हेतु न्यूनतम ऑफर निम्नवत् हैः–

क्र0 संख्या	नीलामी हेतु सम्पत्ति/मलबा	न्यूनतम बोली
01	गांधी पार्क के सामने स्थित क्वार्टर संख्या 01	5,30,179.00 रूपये
02	गांधी पार्क के सामने स्थित क्वार्टर संख्या 02	7,04,509.00 रूपये
03	नगर निगम परिस,र में स्थित क्वार्टर	4,15,177.00 रूपये
04	खाताखेडी में स्थित क्वार्टर	30,70,936.00 रूपये

नोट 1– ठेके के निमित्त निर्धारित जमानत राशि अंकन 1,00,000.00 रू0(एक लाख रूपये मात्र) की एफ.डी.आर,/डी0डी0 जो लेखाधिकारी नगर निगम सहारनपुर के नाम बंधक होगी, के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/नम्बर की प्रति एक दिन पहले कार्यालय में जमा करनी होगी।

2–ठेके से संबंधित सभी शर्तें सम्पत्ति अनुभाग व नोटिस बोर्ड पर देखी/पढी जा सकती है, व सूचना व शर्तें नगर निगम की वेबसाईट www.saharanpurnagarnigam.in व एन0आई0सी0 की वेबसाईट www.saharanpur.nic.in पर भी उपलब्ध है।

5– खुली बोली नीलामी दिनांक 30.12.2020 को अपरान्ह् 12:00 बजे नीलामी गठित समिति एंव बोली दाताओं के समक्ष होगी।

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
नगर निगम, सहारनपुर।

उप नगर आयुक्त
नगर निगम, सहारनपुर।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।
मा0 महापौर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–

1–नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–लेखाधिकारी, नगर निगम सहारनपुर।
3–मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम सहारनपुर।
4–प्रभारी निरिक्षक, थाना कोतवाली कुतुबशेर को उपरोक्त तिथि में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।
5– प्रभारी मीडिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पर) रोस्टर के अनुसार दो समाचार पत्र दैनिक .... एवं दैनिक.......................... समाचार पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि आपके समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लैम मान्य नही होगा।
6– रिकार्ड कीपर को नीलाम की व्यवस्था कराने हेतु।
7– नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

उप नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर।

Scanned with CamScanner

कार्यालय सहारनपुर, नगर निगम सहारनपुर।

मलवा नीलामी शर्ते

01. यह कि नीलामी "जहां है जैसा है" के आधार पर की जायेगी।

02. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति के सम्मुख अंकित धनराशि से कम की बोली नही बोली जायेंगी।

03. यह कि कार्यादेय जारी होने के 15 दिन के अन्दर सफल बोलीदाता को मलवा तोड़कर उठाना होगा। यदि वह 15 के अन्दर ऐसा नही करता है तो अंकन 1000/–रु0 (एक हजार रुपये मात्र) प्रतिदिन की दर से जुर्माना देना होगा। यदि एक माह की अवधि में भी मलवा नही उठा पाता है तो बोलीदाता की जमा धनराशि जब्त कर पुनः नीलामी कर दी जायेंगी।

04. यह कि इस नीलामी में ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रतिभाग कर सकता है जो बतौर जमानत राशि अंकन 1,00,000/–रु0 (एक लाख रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट नीलामी के दिनांक को पूर्वान्ह 12:00 बजे तक जमा करेगा अथवा नीलामी के एक दिन पूर्व नकद धनराशि जमा कर नीलामी के दिनांक को 12:00 बजे तक उसकी रसीद जमा करा देगा।

05. यह कि सफल बोलीदाता को उसकी बोली की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 24 घन्टे के अन्दर समस्त धनराशि जमा करानी होगी। जिसमें जमानत राशि सम्मिलित नही होगी। जमानत राशि स्थल से मलवा उठ जाने के बाद वापिस की जायेगी।

06. यह कि सफल बोलीदाता को कार्यादेय जारी होने से पूर्व निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। स्टाम्प देयता की कमी के लिए बोलीदाता ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

07. यह कि बोलीदाता को नीलामी के दिनांक को 12:00 बजे तक जमानत राशि का साक्ष्य आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/नम्बर नगर निगम सहारनपुर के नजूल लिपिक के पास जमा कराना होगा।

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति नगर निगम, सहारनपुर।	उप नगर आयुक्त नगर निगम, सहारनपुर।

Scanned with CamScanner